दिनांक 23-7-14 को अभिभाषक मे प्रस्तुत।

(83)

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर, महोदय छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0

निगरानी क्रमांक R-2223-III/14 सन् 2014

साकेत बिहारी तनय रामेश्वर अग्निहोत्री आयु करीब 36 वर्ष
निवासी सरवई तह0 गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0 -- निगरानीकर्ता

बनाम

1. शिवसागर तनय रामकिशोर ब्राम्हण
2. कालका अग्निहोत्री तनय रामेश्वर अग्निहोत्री
निवासी सरवई तह0 गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0
3. शासन म0प्र0 --,प्रत्यर्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता
विरूद्व राजस्व प्रकरण क्रमांक-20अ/12/13-14 में
आदेश दिनांक-19/12/13 से दुखी होकर ।

महोदय,

आवेदक/निगरानी कर्ता सादर निम्न लिखित विनय करताहै ।

यहकि आवेदक अपनी भूमि स्वामी स्वत्व की भूमियॉं पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त कराता चला आ रहा है । उक्त संपत्ति निगरानी कर्ता की पैतृक संपत्ति है जो कि मुख्य सडक मार्ग पर [illegible] रोड में स्थित है इस कारण दूसरा पक्ष प्रत्यर्थी क्रमांक-1 उक्त भूमि को हडपना चाहता है इस पर पूर्व में भी एक बार सीमांकन हुआ था ।

2. यहकि आवेदक/निगरानी कर्ता को जानकारी प्राप्त हुई थी कि प्रत्यर्थी क्रमांक-1 राजस्व निरीक्षक महोदय एवं तहसीलदार महोदय से मेल जोल बढाकर निगरानी कर्ता की कुछ भूमि हडपना चाहता है मनमाने तरीके से क्षेत्र को घटाकर क्षेत्र को हडपना चाहता जिससे दुखी होकर निगरानी कर्ता ने दिनांक-03/12/01

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2223-तीन/2014 जिला छतरपुर साकेत बिहारी विरूद्ध शिवसागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक सरवई तहसील गौरिहार के प्रकरण क्रमांक 20/ए-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी गौरिहार को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी गौरिहार के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । 3 (आर.के. जैन) 11/02/2019 सदस्य	